छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 25 जुलाई, 2022 (श्रावण 3, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में भू–माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नहीं मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, सदस्य, सिमगा तथा अकलतरा में स्पंज आयरन उद्योग लगाये जाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति का बयासीवां से नब्बेवां तक 09 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चंदन कश्यप, सदस्य –

(i) ग्राम बयानार, जिला–कोण्डागांव से ग्राम धौड़ाई, जिला–नारायणपुर के मध्य पुल–पुलिया सहित डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(ii) जिला–कोण्डागांव अंतर्गत ग्राम मर्दापाल में महाविद्यालय की स्थापना करने,

(2) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम बिरनासिल्ली में पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम बुड़रा में नाले पर पुल निर्माण करने,

(iii) तहसील मुख्यालय कुकरेल में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने,

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम तेन्दूटोला में बगधरा नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम चिरचारीखुर्द से खुर्सीटिकुल तक पुल–पुलिया सहित मार्ग निर्माण करने,

(iii) ग्राम चिल्हाटी में महाविद्यालय खोलने,

(4) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम बेलपुटी में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम तालुर में बरहा नदी पर स्टापडेम निर्माण करने,

(iii) ग्राम रोतमा में इन्द्रावती नदी में लिफ्ट एरिगेशन कार्य की स्वीकृति प्रदान करने,

(5) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सलखन में महाविद्यालय खोलने,

(ii) ग्राम कटौद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(6) श्रीमती ममता चन्द्राकर, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम भरेवापारा मुख्य सड़क से अमलडीहा तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम सिंगपुर से व्हाया मुनगाडीह, पिपरहा, छिरहा, कुल्हीडोंगरी से बरौदा तक पक्की सड़क सह पुलिया निर्माण करने,

(iii) ग्राम झिरियाखुर्द से दलपुरूवा तक पक्की सड़क निर्माण करने तथा

(iv) ग्राम दामापुर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव की शाखा खोलने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 3

निर्धारित समय

1 घंटा (2) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (3) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (4) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित)(संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (6) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

45 मिनट (7) श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक,2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (8) श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 21 जुलाई, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक– 339) के विषय पर श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 24 जुलाई, 2022